

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-44/2026 दिनांक 13.02.2026)
***दिनांक-13.02.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

अन्तर्राज्यीय शराब तस्करी गैंग का पर्दाफाश, 01 अदद बोलेरो वाहन व 01 अदद गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्राली में छिपाकर तस्करी कर बिहार हेतु ले जायी जा रही कुल 142 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब भिन्न भिन्न ब्राण्ड (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 28 लाख रुपये) के साथ 04 शराब तस्कर गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.02.2026 को थाना कोतवाली पडरौना पुलिस द्वारा 01 अदद बोलेरो वाहन व 01 अदद गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली में गन्ने के नीचे छिपाकर तस्करी कर बिहार हेतु ले जायी जा रही कुल 142 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (58 पेटी RAYAL STAGE SUPERIOR WHISKY- प्रत्येक पेटी में 12 बोतल कुल 696 बोतल मात्रा प्रति बोतल 750 ml तथा 84 पेटी OFFICERS CHOICE अंग्रेजी शराब- प्रत्येक में 48 फ्रूटी मात्रा 180 एमएल कुल 4032 फ्रूटी, कुल मात्रा 1247 लीटर अंग्रेजी शराब) उ0प्र0 निर्मित के साथ 04 शातिर शराब तस्कर क्रमशः-

1. बहादुर यादव पुत्र इन्द्रासन यादव ग्राम चंद्रौल थाना नवलपुर जनपद प0 चम्पारण, बिहार
 2. मनोज राय पुत्र शिवनाथ राय पता बभनौली कोठी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
 3. किशन कुमार यादव पुत्र रामेश्वर यादव पता बथुवलिया थाना बथुवलिया जनपद प0 चम्पारण, बिहार
 4. दीपू यादव पुत्र जमुना यादव पता बथुवलिया थाना बथुवलिया जनपद प0 चम्पारण, बिहार
- को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 84/2026 धारा 60/72 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पूछ-ताछ का विवरण-

पूछ-ताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगो द्वारा उक्त शराब को पडरौना से लेकर गन्ने लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि में छिपाकर बिहार ले जा रहे थे। बिहार में शराब प्रतिबंध के कारण उच्च मूल्य पर बेचकर अधिक लाभ कमाने की योजना थी।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 84/2026 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली पडरौना, जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बहादुर यादव पुत्र इन्द्रासन यादव ग्राम चंद्रौल थाना नवलपुर जनपद प0 चम्पारण, बिहार
2. मनोज राय पुत्र शिवनाथ राय पता बभनौली कोठी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. किशन कुमार यादव पुत्र रामेश्वर यादव पता बथुवलिया थाना बथुवलिया जनपद प0 चम्पारण, बिहार
4. दीपू यादव पुत्र जमुना यादव पता बथुवलिया थाना बथुवलिया जनपद प0 चम्पारण, बिहार

बरामदगी विवरण- (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 28 लाख रुपये)

1. 58 पेटी RAYAL STAGE SUPERIOR WHISKY- प्रत्येक पेटी में 12 बोतल कुल 696 बोतल मात्रा प्रति बोतल 750 ml (कीमत लगभग 4 लाख 73 हजार रूपये)
2. 84 पेटी OFFICERS CHOICE- प्रत्येक में 48 फ्रूटी मात्रा 180 एमएल प्रति पीस कुल 4032 पीस (कीमत लगभग 4 लाख 84 हजार रूपये)
3. एक अदद वाहन बोलेरो BR01PF2681 (कीमत लगभग 10 लाख रूपये)
4. एक अदद ट्रैक्टर स्वराज मय ट्रॉली UP52M2939 (कीमत लगभग 08 लाख रूपये)

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 वीरेन्द्र बहादुर सिंह चौकी प्रभारी कस्बा पडरौना थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 अखिलेश त्रिपाठी चौकी प्रभारी सिधुआ थाना कोतवाली



पडरौना जनपद कुशीनगर

4. का0 रविप्रकाश सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
5. का0 आशीष पटेल थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
6. का0 रजनीकांत थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
7. का0 आनन्द गुप्ता थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
8. का0 अवधेश यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
9. का0 राहुल गुप्ता थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

थाना चौराखास पुलिस द्वारा 45 पाऊच अवैध बन्टी बबली देशी शराब व एक मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अवैध शराब बिक्री/ निष्कर्षण/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.02.2026 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/ वस्तु/ वाहन की चेकिंग के दौरान बनकटा बैरियर के पास से एक अदद मोटर साइकिल से 45 पाऊच अवैध बन्टी बबली देशी शराब परिवहन कर बिहार राज्य ले जा रहे एक नफर अभियुक्त मुमताज अंसारी पुत्र फारूख अंसारी साकिन वार्ड नम्बर 08 कटिया थाना कटिया जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार किया गया । बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 60,72 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 28/2026 धारा 60,72 आबकारी अधिनियम थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

अंसारी पुत्र फारूख अंसारी साकिन वार्ड नम्बर 08 कटिया थाना कटिया जनपद गोपालगंज बिहार

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद मोटर साइकिल स्पलेण्डर प्लस
2. 45 पाऊच अवैध बन्टी बबली देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थाना प्रभारी श्री दिनेश कुमार साहनी थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री प्रशान्त स्वरूप राय थाना चौराखास जनपद कुशीनगर



3. का0 विपुल कुमार थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही पुलिस द्वारा 01 नफर वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वाँछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.02.2026 को थाना सेवरही पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 33/2026 धारा 115(2),118(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बंधित वाँछित अभियुक्त पप्पू तिवारी उर्फ लप्पू तिवारी पुत्र कृष्णा तिवारी सा0 सरगटिया करन पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 33/2026 धारा 115(2),118(2),352,351(3) बीएनएस थाना सेवरही

गिरफ्तार वाँछित अभियुक्त-

पप्पू तिवारी उर्फ लप्पू तिवारी पुत्र कृष्णा तिवारी साकिन सरगटिया करन पट्टी थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थाना प्रभारी निरीक्षक अरविन्द यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री साहबलाल यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
3. का0 विश्वजीत कुमार थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
4. का0 पवन कुशवाहा थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा पाँक्सो एक्ट के मामले में वाँछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वाँछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.02.2026 को थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा 01 नफर वाँछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 31/2026 धारा 75 बीएनएस व 11/12 पाक्सो एक्ट थाना तरया सुजान



गिरफ्तार अभियुक्त-

छोटेलाल चौहान पुत्र सिंहासन चौहान साकिन तरयाखास थाना
तरयासुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र०नि० राम सहाय चौहान थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर।
2. उ०नि० आलोक कुमार सिंह तरया सुजान जनपद कुशीनगर ।
3. का० विजय कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर ।

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा अपरहण, दुष्कर्म आदि के मामले में
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित अभियुक्तों/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु
चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 13.02.2026 को थाना
अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 412/2025 धारा
137(2)/65(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित
अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र सुरेन्द्र निवासी अहिरौली बाजार थाना
अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक
कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 412/2025 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व ¾ पाक्सो
एक्ट

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

अभिषेक कुमार पुत्र सुरेन्द्र निवासी अहिरौली बाजार थाना अहिरौली
बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष प्रविन्द राय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2. उ०नि० कमलेश कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3. का० रामअवध यादव अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4. का० मनोज यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 33 नफर अभियुक्तों
को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत



आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-48
वाहन

2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-31, व्यक्ति- 75

3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(08)

4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-41)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

